



### कार्यालय जापन

#### विषय: आईएसीएस गेस्ट हाउस के नियम और विनियम

- आईएसीएस के संकाय और कर्मचारी एक महीने में अधिकतम 7 दिनों के लिए मानक प्रक्रिया द्वारा अतिथि आवास सुविधाएं बुक कर सकते हैं। यदि किसी संकाय या कर्मचारियों का किसी दिए गए महीने में 7 दिन से अधिक का प्रवास होता है, तो वह नियमानुसार एचआरए का हकदार नहीं होगा।
- गेस्टहाउस@iacs.res.in पर ईमेल के माध्यम से कमरे बुक किए जा सकते हैं।
- सुइट रूम की बुकिंग के लिए निदेशक से अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
- बुकिंग के समय, चेकइन और चेकआउट समय का उल्लेख किया जाना चाहिए। चेक करने का समय पूर्वाह्न 11.00 बजे और चेकआउट का समय पूर्वाह्न 10.00 बजे है।
- कोई भी की गई बुकिंग अनंतिम होगी और यदि आवश्यक हो तो किसी भी समय रद्द की जा सकती है। फोन पर बुकिंग/रद्दीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा। शेड्यूल में बदलाव, रद्दीकरण, प्रस्थान से संबंधित सभी जानकारी कम से कम 24 घंटे पहले सूचित की जानी चाहिए।
- शराब या किसी भी तरह के नशीले पदार्थों का सेवन सख्त वर्जित है।
- परिसर के अंदर किसी भी ज्वलनशील वस्तु को ले जाना या भंडारण करना सख्ती से प्रतिबंधित है।
- यह अनुरोध है कि बिजली और पानी का संरक्षण किया जाए। कमरों से बाहर निकलते समय एसी, गीजर और सभी बिजली के प्वाइंट बंद कर देने होंगे।
- यदि मेहमान अपने ठहराव के दौरान क्षति और सामग्री को नुकसान पहुंचाते हैं तो प्रबंधन, क्षति की प्रकृति की जांच करने के बाद, बिल का भुगतान करने से पहले सामग्री को बदलने के लिए आगंतुक या मेजबान (जिसने बुकिंग की थी) पर जुर्माना लगा सकता है।
- केवल अभी डाई किचन व्यवस्था की ही अनुमति दी जा सकती है।
- सभी संबंधित लोगों की सुरक्षा के लिए, हीटर का उपयोग सख्त वर्जित है।
- फिलहाल भोजन के लिए गेस्ट हाउस द्वारा कोई खाना नहीं पकाया जा सकता है या बिल पेश नहीं किए जा सकते हैं।
- उचित बिल के खिलाफ प्रसिद्ध आउटलेट या आईएसीएस कैटीन से मेहमानों को भोजन परोसा जा सकता है जिसे प्रतिपूर्ति/भुगतान उद्देश्य के लिए मेजबान/अतिथि को भेजा जा सकता है।

२१/३/२४



• रद्द करने की नीति:

1. अतिथि के आगमन की तारीख से 7 दिन पहले रद्दीकरण: रु. 200/- रु. केवल दो सौ) प्रति दिन. रद्दीकरण शुल्क के रूप में प्रति कमरा काटा जा सकता है।
2. अतिथि के आगमन की तारीख से 72 घंटे के भीतर रद्दीकरण प्रति दिन रु.300/- (तीन सौ रुपए मात्र) प्रति कमरे को रद्दीकरण शुल्क के रूप में काटा जा सकता है।
3. अतिथि के आगमन की तारीख से 24 घंटे पहले रद्द करने पर प्रति कमरा प्रति दिना 500/- (पांच सौ रुपये मात्र) रद्दीकरण शुल्क के रूप में काटा जा सकता है।
4. यदि आईएसीएस गेस्ट हाउस बुकिंग के प्रभारी कर्मचारियों को पूर्व सूचना दिए बिना रहने वाले ने निर्धारित बुकिंग के अनुसार कब्जा नहीं करने की स्थिति में, तो बुकिंग राशि का कोई रिफंड नहीं किया जाएगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

शशिणी साहा

(शर्बाणी साहा)

कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

- 1) निदेशक
- 2) समस्त डीन
- 3) समस्त स्कूल अध्यक्ष
- 4) कुलसचिव
- 5) आईएसीएस वेबसाइट में अपडेशन के लिए वेबमास्टर